मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 8-1/2011/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21 जून, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों को वाह्य सेवाओं में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की वसूली.

संदर्भ.—वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 8-2-2004/नियम/चार, दिनांक 8-2-2006.

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 8-2-2006 द्वारा शासकीय सेवकों के वाह्य सेवा नियुक्ति की अवधि हेतु मूलभूत नियम 116 के अन्तर्गत पेंशन तथा अवकाश के लिये अंशदान की दरें निर्धारित की गई है. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 जो कि दिनांक 1-1-2006 से लागू किये गये हैं, में वेतनमानों को समूहीकृत कर वेतन बैण्ड की संरचना की गई है. इनमें पदों में विभेद की दृष्टि से एक ही वेतन बैण्ड में पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों के पदानुरूप ग्रेड-पे निर्धारित की गई है. बैण्ड वेतन की संरचना के फलस्वरूप वाह्य सेवा में नियुक्ति के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान की गणना किस प्रकार की जावे यह विषय शासन के समक्ष विचाराधीन था.

2. राज्य शासन ने पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि छठवे वेतनमान लागू होने के दिनांक 1-1-2006 के पश्चात् पेंशन अंशदान की गणना शासकीय सेवक के वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन तथा ग्रेड पे के योग) के 20 प्रतिशत की दर से की जावेगी. चिकित्सा अधिकारियों/चिकिंत्सा शिक्षकों जिन्हें प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता (Non practicing allowences) देय है, के मामले में पेंशन अंशदान की गणना वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद में मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन+ग्रेड पे+ अव्यवसायिक भत्ता के योग) के 20% की दर से की जावेगी.

3. अवकाश वेतन मासिक अंशदान की गणना सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिये वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में प्राप्त + ग्रेड पे के योग) के 11% की दर से की जावेगी.

4. दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से वाह्य सेवा में जाते समय संबंधित नियोक्ता से पेंशन अंशदान की राशि जमा नहीं करायी जावेगी. इन प्रकरणों में मात्र अवकाश वेतन मासिक अंशदान वाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंण्ड में प्राप्त वेतन + ग्रेड पे के योग) के 11% की दर से शासन को दिया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.